

## राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

सूक्ष्म ऋण नवप्रवर्तन विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051  
टेलि. : +91-22-2653 0084 • फेक्स : +91-22-2652 8141  
ई-मेल : mcid@nabard.org • वेबसाइट : www.nabard.org



**National Bank for Agriculture  
and Rural Development**

Micro Credit Innovations Department

Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051  
Tel. : +91-22-2653 0084 • Fax : +91-22-2652 8141  
E-mail : mcid@nabard.org • Website : www.nabard.org

Ref. No. NB.MCID/ 1369 /WSHG/ 2013-14

**Circular No: 34 /MCID -04/2013-14**

**25 February 2014**

The Chairman/Managing Director  
All Scheduled Commercial Banks/  
Regional Rural Banks

Dear Sir

**Women Self Help Group Scheme (WSHG) –  
reimbursement of 5% service charge payable to NGOs**

Please refer to our circular No 33(A)/MCID -01/2012 dated 27 February 2012 outlining the operational guidelines for implementation of WSHG Scheme. It was envisaged therein that, banks may lend to the SHGs at a rate not more than bank's base rate plus 5% p.a. The additional interest of 5% was intended to be collected as service charge payable by banks to NGOs for meeting their administrative, transaction and risk costs.

2. Ministry of Rural Development, Government of India has agreed to bear the cost of service charge of 5% payable to NGOs. The modalities for release of funds to banks are outlined in MoRD letter D.O No. J-11011/7/2011.SGSY.I (FTS 13019/11) dated 09 July 2013 a copy of which is enclosed for your reference.

3. You are, therefore, requested to immediately stop charging the additional 5% service charge from the WSHGs in all 150 districts. The 5% service charge payable to anchor NGOs in these districts for giving hand holding support to WSHGs may be claimed separately from respective SRLMs



- 2 -

4. In case some SHGs have already been charged with additional 5% service charge during 2013-14, these SHGs should be reimbursed at the earliest and the amount is to be claimed from SRLMs.

Yours faithfully

(P. Satish)

Chief General Manager

Encl: As above



## राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक

सूक्ष्म ऋण नवप्रवर्तन विभाग

प्रधान कार्यालय : बीकेसी, बान्द्रा (पू), मुम्बई - 400 051  
टेलि. : +91-22-2653 0084 • फैक्स : +91-22-2652 8141  
ई-मेल : mcid@nabard.org • वेबसाइट : www.nabard.org



**National Bank for Agriculture  
and Rural Development**

Micro Credit Innovations Department

Head Office : BKC, Bandra (E) Mumbai - 400 051  
Tel. : +91-22-2653 0084 • Fax : +91-22-2652 8141  
E-mail : mcid@nabard.org • Website : www.nabard.org

संदर्भ सं.राबैं.एमसीआईडी/ 1369 /एसएचजी-1 (नीति)/2013-14

परिपत्र सं. 34 /एमसीआईडी - 04/2013-14

25 फरवरी 2014

अध्यक्ष/ प्रबंध निदेशक

सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक /

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रिय महोदय,

**महिला स्वयं सहायता समूह (डबल्यूएसएचजी)**

**गैर-सरकारी संघटनों को देय 5% सेवा प्रभार की प्रतिपूर्ति**

कृपया दिनांक 27 फरवरी 2012 के हमारे परिपत्र सं.राबैं.एमसीआईडी/33(ए)/एमसीआईडी -01/2012 का संदर्भ ग्रहण करें जिसमें महिला स्वयं सहायता योजना के कार्यान्वयन हेतु परिचालनात्मक दिशानिर्देश दिये गए हैं. इनमें यह सुनिश्चित किया गया है कि, बैंको द्वारा, स्वयं सहायता समूहों को स्वीकृत ऋण पर ब्याज का दर, बैंक के बेस रेट (base rate)+5% से अधिक नहीं होगा. इस अतिरिक्त 5% ब्याज का उद्देश्य, गैर सरकारी संघटनों को प्रशासनिक, लेनदेन, और जोखिम लागत हेतु देय सेवा प्रभार को वसूल करना है.

2. ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने गैर सरकारी संघटनों को देय 5% सेवा प्रभार की लागत का वहन करने का निर्णय लिया है. ग्रामीण मंत्रालय के दिनांक 09 जुलाई 2013 के अ.श.पत्र सं. जे-11011/7/2011।एसजीएसवाई.ई(एफटीएस 13019/11) में बैंकों को निधियाँ जारी करने से संबंधित प्रक्रिया का वर्णन किया है, जिसकी प्रति इसके साथ संलग्न है.

3. अतः अनुरोध है कि आप तत्काल प्रभाव से सभी 150 जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों से अतिरिक्त 5% सेवा प्रभार की वसूली बंद कर दें. इन जिलों में महिला स्वयं सहायता समूहों को हैंडहोल्डिंग सपोर्ट देने के लिए एन्कर एनजीओ को देय 5% सेवा प्रभार हेतु संबंधित एसआरएलएम को अलग से दावा प्रस्तुत करें.



- 2 -

4. यदि वर्ष 2013-14 के दौरान कुछ स्वयं सहायता समूहों के खातों में 5% अतिरिक्त सेवा प्रभार प्रभारित किया गया है तो, उक्त स्वयं सहायता समूहों को तुरंत अतिरिक्त सेवा प्रभार की राशि की प्रतिपूर्ति कि जाए और संबंधित राशि की प्रतिपूर्ति हेतु दावों को एसआरएलएम को प्रस्तुत करें.

पी. सतीश

(पी सतीश)

मुख्य महा प्रबन्धक

संलग्न: यथोपरि







उक्त दिनांक का परांकन सं. राबैं. एमसीआईडी / 1370 / एसएचजी-1 (पॉलिसी) / 2013-14

प्रतिलिपि अनुलग्नकों के साथ सूचना और आवश्यक कार्रवाई के लिए प्रेषित :

1. सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, वित्तीय सेवाएं विभाग, बैंकिंग प्रभाग, जीवन दीप बिल्डिंग, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110 001.

✓ 2. सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001 को दिनांक 18.02.2014 के उनके पत्र सं I-12011/16/2013-आरएल(सी) के संदर्भ में प्रेषित.

3. संयुक्त सचिव, आरएल, आजीविका, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, छठवाँ मंजिल, होटल सम्राट, कृषि भवन, नई दिल्ली 110 001.

4. अध्यक्ष महोदय के कार्यपालक सहायक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई.

5. कार्यपालक निदेशक (वीआरआर) के कार्यपालक सहायक, नाबार्ड, प्रधान कार्यालय, मुंबई.

6. मुख्य महाप्रबंधक / महाप्रबंधक / प्रभारी अधिकारी, नाबार्ड, क्षेत्रीय कार्यालय / उप कार्यालय से अनुरोध है कि वे अपने राज्य के एसएलबीसी को इस परिपत्र के विषय वस्तु से अवगत कराएं.

7. निदेशक, बीआईआरडी (BIRD), लखनऊ, बोलपुर, मंगलूर

(डी के मिश्रा)

उप महाप्रबंधक



Endt.no. NB.MCID/ 1370 /WSHG/ 2013-14 of date

Copy forwarded for information and necessary action to:

1. The Secretary to the Government of India, Department of Financial Services, Ministry of Finance, Jeevan Deep Building, Parliament Street, New Delhi 110 001.
2. The Secretary to the Government of India, Ministry of Rural Development, Krishi Bhavan, New Delhi 110 001 with reference to letter No I-12011/16/2013-RL(c) dated 18.02.2014.
3. The Joint Secretary, RL, Aajeevika, National Rural Livelihood Mission (NRLM), Ministry of Rural Development, Government of India, 6th Floor, Hotel Samrat, Kautilya Marg, Chanakypuri, New Delhi – 110021
4. The Executive Assistant to Chairman, NABARD Head Office, Mumbai
5. The Executive Assistant to ED(VRR), NABARD Head Office, Mumbai
6. The Chief General Manager/General Manager/Officer-in-Charge, NABARD, Regional Office with the request to bring the contents of this circular to the notice of SLBC in their state.
7. Director, BIRD, Lucknow, Bolpur and Mangalore.



(D K Mishra)

Deputy General Manager